न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा–आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

आप0 विविध संख्या : 108 / 2026

सी0आई0एस0 नंबर : 146 / 2026

सी.एन.आर. नंबर : RJBR010003562026

सूरज कुमार डांगी पुत्र गिरिजाशंकर डांगी आयु 21 वर्ष निवासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, मकान नंबर 233 अनन्तपुरा, कोटा थाना अनन्तपुरा जिला कोटा (राज0)

–प्रार्थी / अभियुक्त–

:: बनाम ::

राज0 सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज0) –अप्रार्थी / विपक्षी–

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
अन्तर्गत धारा 109(1), 103(1), 61(2)(ए) बी0एन0एस0 व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट
सेशन केस नंबर 13 / 2026 सर. बनाम सरफराज उर्फ सद्दाम बाबर वगै0

उपस्थितः–

1– श्री चैनसिंह सिरोहिया, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

––:: आदेश ::–– दिनांक :– 09.03.2026

1– प्रार्थी / अभियुक्त **सूरज डांगी** की ओर से धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कोतवाली बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 617 / 2025 व सेशन प्रकरण सं0 13 / 2026 सरकार बनाम सरफराज उर्फ सद्दाम बाबर वगैर के सन्दर्भ में न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां में प्रस्तुत किया गया, जहॉ से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, क्रम–02 बारां के अवकाश पर होने एवं यह न्यायालय लिंक न्यायालय होने से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र मुझ लिंक अधिकारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, बारां के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं बहस सुनी गई।

2– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये है कि प्रार्थी / अभियुक्त का अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है। एफ.आई. आर. में सुरेश डांगी का नाम अंकित किया है परन्तु बाद में सुरेश के द्वारा ही जानबूझकर सूरज डांगी को अभियुक्त बना दिया गया है। सूरज पर चाकू से वार करने का आरोप है जबकि पुलिस द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त से कोई चाकू बरामद नहीं करते हुये पिस्टल बरामद की गई है जबकि पिस्टल के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त

की परिवादी पक्ष से कोई रंजिश नहीं रही है, इस कारण प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध में सम्मिलित होने का कोई हेतुक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना दिनांक तक कभी भी बारां में ही नहीं आया है एवं घटना के समय भी उसकी घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति नहीं रही है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी दिनों से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3— विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतक शाहरूख की हत्या करने में अन्य अभियुक्तगण के साथ सम्मिलित रहा है, जिसके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक शाहरूख की हत्या करने के तथ्य अनुसंधान में प्रमाणित पाये गये हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थी/अभियुक्त सूरज डांगी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से होना जाहिर किया :—

क्र. सं.	**मुकदमा नं0 मय थाना**	**धारा**	**चार्जशीट नंबर**	**प्रकरण की वर्तमान स्थिति**
01	237/14.07.2024 थाना आर.के.पुरम कोटा	127(2),140(2),308(5), 310(2),115(2),61(2)(ए)	168/25.10.2024	पेंडिंग कोर्ट

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पेशी से तलब कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि दिनांक 04.11.2025 को परिवादी सेफ अली की ओर से पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि उस दिन मोबाइल पर शाहरूख के गोली लगने की सूचना मिली थी जिस पर वह व अन्य व्यक्ति भागकर घटना स्थल पर पहुंचे जहां शाहरूख नीचे गिरा हुआ था और सद्दाम, अमन बाबर, लक्की मोठपुर, सलमान मोठपुर और सुरेश डांगी चाकू मार रहे थे। वह बचाने गया तो सद्दाम ने उस पर फायर किया तब एकदम वह दूर हटा तो सद्दाम ने उसके भाई के गोली मारी और अमन बाबर ने चक्कू से उसके भाई का गला काटा और बाकियों ने उसके भाई के हाथ पकड़ रखे थे आदि रिपोर्ट पेश किये जाने पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103 बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गई तथा दौराने अनुसंधान पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त सुरज कुमार डांगी को दिनांक 06.11.2025 को उक्त अपराधों के आरोप हेतु गिरफ्तार किया गया है एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से एक देशी पिस्टल जरिये फर्द जब्ती बरामद किया जाना बताया गया है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा अनुसंधान के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 109(1), 103(1), 61(2)(ए) बी.एन.एस. तथा धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट के आरोप हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जो कमिट व अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हो चुका है तथा पत्रावली बहस चार्ज के प्रक्रम पर लंबित है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान चश्मदीद साक्षीगण के जो बयान

पत्रावली पर उपलब्ध हैं उनमें अभियुक्त सूरज डांगी का अपराध में सक्रिय रूप से संलिप्त होना बताया गया है जिसके आधार पर ही प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मृतक शाहरूख की हत्याव अन्य अपराधों के आरोप हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सरेआम नृशंस हत्या के गंभीर अपराध के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जो तर्क किये गये हैं, उनके बाबत जमानत आवेदन के सुनवाई के प्रक्रम पर कोई विवेचना किया जाना उचित/अपेक्षित नहीं है। प्रकरण वर्तमान में आरंभिक प्रक्रम पर है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की स्थिति में अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने के प्रयास की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवदेन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5— अतः प्रार्थी/अभियुक्त **सूरज डांगी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

6— आदेश आज दिनांक **09.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

MAHESH KUMAR SONI
Digitally signed by MAHESH KUMAR SONI
Date: 2026.03.10 15:27:45 +0530